आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Delhi SC/ST/OBC/Minorities and Handicapped Finance and Development Corporation (DSFDC)

Big Loan Scheme (DSFDC)

DSFDC राष्ट्रीय वित्त निगमों के टर्म ऋण, परियोजना के लिए 5 लाख रुपये तक, दिल्ली के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कर्मचारी और दिव्यांग वर्ग के निवासियों तक पहुँचाता है।

क्या मिल सकता है

मंज़ूर प्रदूषण-रहित व्यापार में कमाई वाली गतिविधि के लिए कुल परियोजना लागत के हिस्से के रूप में 5 लाख रुपये तक का टर्म ऋण, जो राष्ट्रीय शीर्ष निगम DSFDC के माध्यम से ज़रूरत के हिसाब से देते हैं। ऋण छह महीने की छूट के बाद पाँच साल में 60 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। दिव्यांग आवेदक तीन महीने की छूट के बाद अधिकतम दस साल में चुका सकते हैं।

किसके लिए है

दिल्ली के निवासी, 18 से 50 वर्ष की उम्र के, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कर्मचारी या दिव्यांग वर्ग के, जो कारोबार या छोटी इकाई शुरू करना चाहते हैं।

मुख्य शर्तें

- आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी हो, उसके पास राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र हो और आधार कार्ड भी हो।
- उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आवेदकों की पारिवारिक आय सालाना 1,20,000 रुपये से अधिक न हो, हालाँकि अल्पसंख्यक वर्ग के क्रीमी लेयर के लिए यह 6 लाख रुपये तक जा सकती है। दिव्यांग और सफाई कर्मचारी आवेदकों के लिए आय की कोई सीमा नहीं है।
- आवेदक DSFDC की किसी योजना में या किसी बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक में चूककर्ता घोषित न हुआ हो।
- आवेदक के पास योजना के अनुसार ज्ञान और अनुभव हो, और निर्माण इकाइयों के लिए SSI व प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जैसी अनुमतियाँ तथा मंज़ूर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यस्थल चाहिए।

दस्तावेज़

- भरा हुआ ऋण आवेदन फॉर्म और 5 पासपोर्ट आकार के फोटो
- जाति या दिव्यांगता प्रमाणपत्र, या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शपथपत्र
- आधार कार्ड और आयु प्रमाण
- अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आवेदकों के लिए SDM का आय प्रमाणपत्र
- शपथपत्र कि किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लिया है
- कार्यस्थल का किराया अनुबंध या अनापत्ति प्रमाणपत्र और स्वामित्व का प्रमाण
- परियोजना के लिए तकनीकी ज्ञान और अनुभव का प्रमाण
- चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित परियोजना रिपोर्ट और पाँच साल के लाभ-हानि अनुमान
- लगाई जाने वाली मशीनरी के कोटेशन
- DSFDC के नाम 350 रुपये प्रसंस्करण शुल्क

आवेदन कैसे करें

1. ऋण आवेदन फॉर्म रोहिणी के मुख्य कार्यालय या किसी शाखा कार्यालय (राज पुर रोड, नंद नगरी या मंगोलपुरी) से लें। इसे निगम की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
2. फॉर्म भरें और मंज़ूरी से पहले के दस्तावेज़ लगाएँ, जिनमें परियोजना रिपोर्ट और 350 रुपये का प्रसंस्करण शुल्क भी है।
3. निगम की औपचारिकताएँ पूरी होने और राष्ट्रीय शीर्ष निगम का आशय पत्र आने के बाद ऋण जारी होता है।
4. मंज़ूरी के बाद गारंटर के कागज़ात, ECS आदेश, दो स्थानीय गवाहों के पहचान प्रमाण और PMJJBY व PMSBY बीमा की प्रतियाँ दें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://dsfdc.delhi.gov.in/sites/default/files/big_loan_schemes_detals.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/delhi/dl-dsfdc-big-loan-scheme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।